न्यायालय सिविल जज (एस0डी0), रूड़की जिला हरिद्वार।

मूल वाद संख्या–237/2022

खालिद बनाम जावेद।

दिनांक 22.01.2026–

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मंगल सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री सईद अहमद न्यायालय में उपस्थित आये। पत्रावली पर उपलब्ध दोनों पक्षों के अभिवचन स्पष्ट है, पक्षकारों को आदेश 10 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दू विचरित किये जाते हैं–

1)– क्या वादपत्र के अन्त में वर्णित कुल 0.1034 है0 रकबे की सम्पत्ति वादी के प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के साथ संयुक्त में हित–निहित थे?

2)– क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांकित 22.05.2009 के माध्यम से प्रश्नगत सम्पत्ति के कुल रकबे 0.1034 है0 में से रकबे की सम्पत्ति का विशिष्ट भाग बिना विधिक विभाजन कराये धोखेवश प्रतिवादी संख्या 2 के हक में विक्रय कर दिया है? यदि हां तो प्रभाव।

3)– क्या वादी का वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34, 38, 41 के प्रावधानों से बाधित है?

4)– क्या बैनामा दिनांकित 22.05.2009 निरस्त किये जाने योग्य है?

5)– क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन अनुचित किया गया है?

6)– क्या वादी द्वारा वाद के सापेक्ष अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

7)– क्या वादी याचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दू न तो बनता है और न ही बल दिया गया। पक्षकारान सूची गवाहान एवं शेष दस्तावेजी साक्ष्य भीतर एक सप्ताह पेश करें तथा एक–दूसरे द्वारा दाखिल दस्तावेजों पर स्वीकृत अथवा अस्वीकृति का पृष्ठांकन करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण वाद बिन्दू संख्या 5 व 6 दिनांक 05.03.2026 को पेश हो।

(रीतिका सेमवाल)

सिविल जज (एस0डी0),रूडकी,

जनपद, हरिद्वार।